

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0.125/19. ता0रजु.26.11.19... किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक.15.1.2020

सरकार

बनाम

जनक, मिहाल पूजन धरम

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का रुपरा मलुका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम रुपरा मलुका के खसरा नम्बर 672 रकवा 0.10 हैक्ट. किस्म भूमि आराजा पर सम्वत 2076 में श्री जनक, मिहाल पूजन धरम गुप्तर, मि. रुपरा मलुका तह0 बयाना ने 0.08, 0.16 हैक्ट अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जवाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से वेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 622 रकवा 0.08, 0.16 हैक्ट. वाके ग्राम रुपरा मलुका से वेदखल किया जाता है। लगान 0.96 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 48 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फरद को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ वेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फंसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दारिखल दफतर हो। निर्णय दिनांक 15.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार  
बयाना